षोडश माला, खंड 20, अंक 9 **सोमवार, 28 नवम्बर, 2016**

7 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(*खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं*)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

रजिन्दर कुमार
संयुक्त निदेशक

अनिल कुमार कौशिक
उप निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 20, दसवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)

अंक 9, सोमवार, 28 नवंबर, 2016 / 7 अग्रहायण, 1938 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	15
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	17-29
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 164	17-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	30
तारांकित प्रश्न संख्या 165 से 180	30
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070	30

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 33-49, 64

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 50-51

(1) 27वां और 28वां प्रतिवेदन 50

(2) की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण 50-51

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 52-53

(एक) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2015-16) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 226वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. महेश शर्मा 52

(दो) (क) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास" के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 2।वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री विष्णु देव साय 53

सदस्यों द्वारा निवेदन

500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में 54-63

नियम 377 के अधीन मामले 66-91

(एक) उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 67

(दो) गुजरात में प्रताप नगर (बड़ौदा) से जम्बूसर की मीटर गेज का आमान परिवर्तन करने तथा राज्य में भरूच से जम्बूसर तक एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा 68

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दूरस्थ एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के प्रयोजनों के लिए जलसंचय टैंकों के निर्माण की गति में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कास्वां 69

(चार) गुजरात के बड़ौदरा में छायापुरी रेलवे स्टेशन का उन्नयन कर सेटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रंजनबेन भट्ट 70

(पाँच) मुम्बई विमानपत्तन के आस-पास निर्माण/विकास हेतु वर्तमान कानूनों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरीट सोमैया 71

(छह) बिहार में शिवहर के रास्ते सीतामढ़ी से मोतीहारी रेल लाइन परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 72

(सात) अनुसूचित जनजातियों को देश के मूल नागरिक माने जाने की आवश्यकता

प्रो. रिचर्ड हे 73

(आठ) सैन्य बलों के शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को एक समान आर्थिक राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश मीना 74

(नौ) एकीकृत कॉफी विकास परियोजना का लाभ मध्यम, बृहद और कार्पोरेट कॉफी बागानों को दिए जाने की आवश्यकता

कुमारी शोभा कारान्दलाजे 75

(दस) उत्तर कर्नाटक के सेवानिवृत्त कलाकारों की पेंशन उन्हें शीघ्र वितरित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रह्लाद जोशी 76

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में मोरंड-गंजाल सिंचाई परियोजना का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ज्योति धुर्वे 77

(बारह) देश से टी.बी. के उन्मूलन हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 78

(तेरह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल बीमा योजना के उचित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 79

(चौदह) यूरोपीय देशों द्वारा अंगूर की खेप को रद्द किए जाने के मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिशचन्द्र चव्हाण 80

(पंद्रह) मछुआरों के समुदाय के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

प्रो. के. वी. थॉमस 81

(सोलह) लम्बी दूरी की गाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. आर. पी. प्रभाकरन 82

(सत्रह) ई-फार्मेसिज द्वारा औषधियों की बिक्री पर निगरानी हेतु तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. (श्रीमती) ममताज़ संघमिता 83

(अट्ठारह) पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चन्द्रकोना में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 84

(उन्नीस) ओडिशा के झोडिया पर्जा, दूरुआ और नक्टी डोरा समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री झीना हीकाका 85

(बीस) मुम्बई के दक्षिण-मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेहूल और अम्बापाडा गांव से जहरीले रसायनों के भंडारण की सुविधा को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल शेवाले 86

(इक्कीस) मंडल एवं जिला परिषदों को निधियां दिए जाने के बारे में

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु 87-88

(बाईस) तेलंगाना के मछुआरों को विपणन सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी 89

(तेईस) केरल के कन्नूर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निकट एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर 90

(चौबीस) बिहार के बांका जिले में ककवारा मेगा विद्युत संयंत्र की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश नारायण यादव 91

कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 92

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

सोमवार, 28 नवंबर, 2016 / 7 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को 25 नवम्बर, 2016 को 90 वर्ष की आयु में क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो के हवाना, क्यूबा में हुए दु:खद निधन के संबंध में सूचित करना है।

एक राजनेता, क्रान्तिकारी और प्ररेणादायी व्यक्तित्व के धनी फिडेल कैस्ट्रो ने अपनी दृढ़ इच्छा-शक्ति के बल पर 47 वर्षों तक क्यूबा गणराज्य पर शासन किया।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन में उनके योगदान तथा विभिन्न मंचों पर भारत के लिए उनके अडिग समर्थन को भारत के लोग सदैव याद रखेंगे।

यह सभा दु:ख की इस घड़ी में क्यूबा की संसद, सरकार और वहां की मित्रवत जनता के प्रति अपना गहन शोक व्यक्त करती है।

अब, सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैडम, आज आक्रोश दिवस है। हमें बोलने दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप इस सबको समाप्त करने वाले हैं तो मैं अलाउ कर देती हूं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं मध्याह्न 12 बजे प्रत्येक सदस्य को दो मिनट का समय दूंगी।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप इसे समाप्त करेंगे?

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री एंटो एन्टोनी, कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको प्रश्न काल के बाद बोलने का अवसर दूँगी।

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.03½ बजे</u>

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: अब हम प्रश्न काल शुरू करते हैं।

श्री ओम प्रकाश यादव – उपस्थित नहीं।

कर्नल सोनाराम चौधरी

… (*व्यवधान*)

* **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

(प्र.161)

कर्नल सोनाराम चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है और मैं इसके लिए उनका आभारी हूं। … (*व्यवधान*)

सरकार ने 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन और विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। … (*व्यवधान*) यह भी उल्लेख किया है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन राजस्थान को पिछड़ा राज्य घोषित नहीं किया गया है। यह उचित नहीं है। (*व्यवधान*)

राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर जैसे कुछ जिले हैं, जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। ये अत्यंत पिछड़े एवं अकालग्रस्त जिले हैं। जैसलमेर एक शून्य-उद्योग वाला जिला है। वहाँ एक भी उद्योग नहीं है। (*व्यवधान*)

जैसलमेर रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है और यह अपने किलों के लिए प्रसिद्ध है जहाँ आज भी लोग रहते हैं, जो एक आश्चर्य की बात है। … (*व्यवधान*) इसलिए, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री को राज्य के उन जिलों को समर्थन देने पर विचार करना चाहिए, जो पिछड़े हैं। ... (*व्यवधान*) हालांकि, कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में उन्होंने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि अन्य संबंधित मंत्रालय विकास के लिए कुछ योजनाएं शुरू कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अन्य मंत्रालय इसके लिए आगे नहीं आए हैं। … (*व्यवधान*)

इसलिए, माननीय मंत्री जी के समक्ष मेरा यह निवेदन है। क्या आप जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर जिलों को किसी तरह का पैकेज देने पर विचार करेंगे, जो बहुत पिछड़े जिले हैं? … (*व्यवधान*) राजस्थान सरकार ने छह महीने पहले 'रिसर्जेंट राजस्थान' योजना शुरू की है, लेकिन धन की कमी के कारण वे इसे लागू नहीं कर सकते हैं। … (*व्यवधान*) क्या मंत्री जी इस संबंध में मदद करेंगे? … (*व्यवधान*) धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्लेकार्ड्स न दिखाएं।

… (*व्यवधान*)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, माननीय सदस्यगण ने राजस्थान राज्य के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। … (*व्यवधान*) मैं इस बात से सहमत हूं कि जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर निश्चित रूप से पिछड़े जिले हैं और उन जिलों में वास्तव में कोई भी उद्योग महत्वपूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। … (*व्यवधान*) हालाँकि, जैसी स्थिति है, हमारे पास केवल ऐसी परियोजनाएं हैं जो कुछ राज्यों में चल रही हैं और नीति आयोग--पूर्व योजना आयोग--निर्धारित करता है कि कौन से राज्य या जिले या संघ राज्यक्षेत्र पिछड़े हैं। … (*व्यवधान*) फिलहाल, हमारे मंत्रालय के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जो हमारी ओर से जिलों या राज्यों को पिछड़ा घोषित करे। … (*व्यवधान*)

कर्नल सोनाराम चौधरी: महोदया, धन्यवाद। … (*व्यवधान*) महोदया, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि संबंधित विभागों/मंत्रालयों की कुछ अन्य पूरक योजनाएं भी हैं। … (*व्यवधान*) क्या वे इन पिछड़े जिलों के विकास के लिए राजस्थान सरकार को कुछ धन देकर या सीधे कुछ मंत्रालयों के माध्यम से इन पिछड़े जिलों में कुछ योजनाओं को शुरू करने के लिए उत्तर के अनुलग्नक में उल्लिखित कई योजनाओं के बारे में सरकार को प्रभावित करने के लिए अपने पद का उपयोग करेंगी? ... (*व्यवधान*) धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, माननीय सदस्यगण ने इस मुद्दे को उठाया है कि कैसे अन्य मंत्रालय कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं चला रहे हैं। … (*व्यवधान*) यह सत्य है कि कपड़ा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, एम.एस.एम.ई. और रसायन और उर्वरक जैसे मंत्रालयों के पास विभिन्न राज्यों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हैं। … (*व्यवधान*) मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि रसायन मंत्रालय ने राजस्थान में रसायन और प्लास्टिक विकास के लिए कुछ इकाइयां स्थापित की हैं। … (*व्यवधान*) इसलिए, यह उचित होगा कि सांसद स्वयं राजस्थान के सदस्यों के साथ विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क करें और देखें कि किसे लागू किया जा सकता है और राजस्थान के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न काल में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ... (व्यवधान) बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ... (व्यवधान) उसके पिछड़ेपन के कारण ही वहां पर राज्य बनाने की मांग उठती रही है और यह वर्षों से हो रही है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में विशेषतौर से दलहन का उत्पादन होता है।... (व्यवधान) क्या उसे दलहन का हब बना कर, वहां उसके लिए उद्योग लगाने के लिए कोई योजना बनायेंगी? ... (व्यवधान) वहां पर सिलिका सैंड पाया जाता है।... (व्यवधान) वहां पर बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट पाई जाती है। ... (व्यवधान) क्या उन पर आधारित उद्योग लगा कर बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने की कृपा करेंगी?... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, माननीय सदस्यगण ने बुंदेलखंड का मुद्दा उठाया है, जो निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ है और उद्योग स्थापित करने आदि के मामले में बहुत सहायता की आवश्यकता है। … (*व्यवधान*) लेकिन तकनीकी रूप से उद्योग स्थापित करना राज्य सरकार और निजी उद्योगों के दायरे में आता है। … (*व्यवधान*) इस पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है, और संसद सदस्य संभवतः खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जो इस प्रक्रिया में मददगार साबित हो सकता है। … (*व्यवधान*) धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी: महोदया, उड़ीसा में 'ए' टू 'जेड' जैसे कोयले से डायमंड और सोने के रॉ मैटीरियल का स्कोप है।... (व्यवधान) इस इंडस्ट्रीयल कोरिडोर के डेवलपमेंट के प्रस्ताव को सरकार ने रखा है, लेकिन यह

बहुत दुर्भाग्य की बात है कि चैन्नई-कोलकाता कोरिडोर में उड़ीसा को कवर नहीं किया गया है। इस कोरिडोर को सिर्फ चैन्नई से विशाखापट्नम तक ही लिया गया है।... (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस कोरिडोर को विशाखापट्नम से कोलकाता तक लेने की कृपा करेंगे?... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि वास्तव में, शुरू में, विशाखापत्तनम-चेन्नई कॉरिडोर की योजना मूल रूप से बनाई गई थी और इसे कोलकाता से चेन्नई तक ले जाने पर भी विचार किया जा रहा है। … (*व्यवधान*) मुझे यहाँ यह उल्लेख करना है कि ओडिशा के संसद सदस्यों में से एक और मंत्रिपरिषद के एक मंत्री ने मुझे पत्र लिखकर कहा था, "ऐसा क्यों है कि इसे ओडिशा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है?" … (*व्यवधान*) हमने, वास्तव में उस विकल्प पर विचार किया है और मुझे यकीन है कि हम भविष्य में इसका विस्तार ओडिशा से होते हुए कोलकाता तक करने में सक्षम होंगे। … ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग ये सब नियमों के खिलाफ कर रहे हैं। ये कागज नहीं दिखाने चाहिए। कृपया इन पत्रों को यहां न दिखाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 162, श्री एम.के. राघवन - उपस्थित नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री धनंजय महाडीक, प्रश्न पूछना नहीं चाहेंगे।

अब, माननीय मंत्री।

(प्र.162)

[हिन्दी]

डॉ. बंशीलाल महतो : महोदया, तीन साल पहले कोरबा में ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन हो चुका है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गोगोई जी, कागज मत दिखाएं।

... (व्यवधान)

डॉ. बंशीलाल महतो: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या श्रम मंत्रालय का यह सौ बेड का अस्पताल कोरबा में शुरू किया जाने वाला है?... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, माननीय सदस्य का पूरक ई.एस.आई.सी. चिकित्सालय के बारे में है, जबकि प्रश्न ई.पी.एफ.ओ. के निवेश के बारे में है। … (*व्यवधान*)

यद्यपि माननीय सदस्य ने ई.एस.आई.सी. अस्पताल के बारे में पूछा है, इसकी स्थिति क्या है, इसका जवाब मैं उन्हें निश्चित रुप से दूंगा। हालाँकि उन्होंने ई.एस.आई.सी. चिकित्सालय के बारे में प्रश्न पूछा है, लेकिन वास्तविक सवाल ई.पी.एफ.ओ. द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.) में निवेश के बारे में है। … (*व्यवधान*)

इस प्रश्न के संबंध में, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार का सर्वोपरि हित श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। इसीलिए, हम ई.टी.एफ. निवेश के लिए गए हैं जहां लंबी अवधि में ग्राहकों को अधिक रिटर्न मिलता है। दूसरे, कई विकसित देश भी इसी तरह ई.टी.एफ. में निवेश कर रहे हैं। … (*व्यवधान*) तीसरा, यह सरकारी क्षेत्र में निवेश के अलावा निवेश की विविधता के बारे में है।

31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, ई.टी.एफ. में किया गया निवेश 9.17 प्रतिशत रिटर्न दे रहा है। पिछले वर्ष हमने हमारे श्रमिकों को रिटर्न/ब्याज के रूप में 8.8 प्रतिशत का भुगतान कर दिया है।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, ईपीएफओ के फण्ड का जब हमने निवेश करने की बात की,... (व्यवधान) जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, न्यासियों और कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति की थी।... (व्यवधान) हम भी मानते हैं कि इस पैसे को ब्लाक मनी से बचाने के लिए बेहतर है कि इसको मोबलाइज़ करके,... (व्यवधान) उन उपभोक्ताओं को दिया जाए, जिनका यह वास्तव में है।... (व्यवधान) ऐसी सरकार की नीयत है।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निवेश करने के बाद अभी तक इस पैसे पर कितना लाभ हमें मिला है?... (व्यवधान) जिससे हम इस बात से आश्वस्त हो सकें कि वास्तव में जो आपत्तियां न्यासियों और कर्मचारी संगठनों द्वारा की गयी थीं,... (व्यवधान) वह सतही थीं और सरकार का फैसला सही है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि अभी तक सरकार के पास कितने लाभांश की जानकारी है, वह सदन को बताने का कष्ट करें?... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, निवेश पैटर्न के संबंध में, मैंने पहले ही संकेत दिया है कि पहले वर्ष में, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हमने एक्सचेंज ट्रेड फंड का पांच प्रतिशत जारी किया है।... (*व्यवधान*) उसके बाद सतर्क निवेश को देखते हुए हमने इसे पांच से बढ़ाकर दस फीसदी कर दिया है... (*व्यवधान*) आज की तारीख में हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए, हम बहुत सतर्क हैं। हम श्रमिकों की सुरक्षा और बचाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने मुख्य रूप से निवेश किया है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है,

31.10.2016 तक 9.17 प्रतिशत रिटर्न के साथ 9,723 करोड़ रुपये... (*व्यवधान*) आने वाले वर्ष में, हम कम से कम 13,000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 163। श्रीमती भावना गवली - उपस्थित नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, माननीय मंत्री।

… (*व्यवधान*)

(प्र.163)

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदया, यह सर्वविदित है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने निर्यात के विकास में विश्व भर में विशेष योगदान किया है।... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, चीन में मार्बल का किसी प्रकार का खनन नहीं होता है, लेकिन चीन में तीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन मार्बल प्रोसैसिंग के लिए बनाए गए हैं।... (व्यवधान) इनके माध्यम से चीन ने मार्बल को प्रोसैस करके विश्व में निर्यात करने में सफलता प्राप्त की है और आज चीन दुनिया में प्रोसैस मार्बल का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि हमारे देश में जो मार्बल उत्पादित होता है, उस मार्बल की प्रोसैसिंग की जो केपेसिटी हम लोगों के पास है, साथ ही साथ हम लोगों के पास तकनीकी दक्षता और व्यक्तिक कौशल भी है,... (व्यवधान) क्या उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे देश में इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मार्बल प्रोसैसिंग के लिए बनाने का सरकार कोई विचार रखती है? जिससे देश से मार्बल निर्यात में हमारी तकनीकी और मानव कौशल का सही उपयोग हो सके।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, इस समय, इस देश में संगमरमर नीति के संबंध में, उन सभी हितधारकों के साथ उचित और व्यापक परामर्श के बाद, हमने यह सुनिश्चित किया है कि संगमरमर नीति से संगमरमर उत्पादकों या संगमरमर के कौशल वाले लोगों के हर वर्ग को लाभ होगा। ... (*व्यवधान*) हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत में संगमरमर उद्योग को लाभ मिले क्योंकि इससे निपटने के लिए एक तकनीक है। हालांकि एस.इ.जेड. की स्थापना पर फिलहाल कोई नई सोच नहीं है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 164, श्री बी. विनोद कुमार - उपस्थित नहीं।

अब, माननीय मंत्री।

… (*व्यवधान*)

(प्र.164)

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल से कई ऐसे किलों का निर्माण हुआ है, जो पुरातत्व महत्व के हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ की हालत भी अब जीर्ण-शीर्ण हो गयी है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए महाराष्ट्र के किले में सुधार हेतु केन्द्र सरकार क्या उपाय योजना कर रही है?... (व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र से जुड़े हुए तीन स्थान एलिफेन्टा केव्स, दौलताबाद फोर्ट और रायगढ़ किला है।... (व्यवधान) रायगढ़ किले के बारे में माननीय सदस्य ने जो मुझे बताया है, इसके बारे में उन्हें डिटेल्ड रिपोर्ट देने के बाद आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उस विषय में क्या योजना है, वह मैं माननीय सांसद को उपलब्ध करा दूंगा। ... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि देश के अंदर 3686 आर्कियोलोजिकल साइट्स हैं, उनमें सबसे पुरानी हिस्टोरिकल साइट हिसार में स्थित राखीगढ़ी लगभग आठ हजार साल पुरानी है।... (व्यवधान) पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि एक कमेटी प्रस्तावित है, जो सर्वे करके उस साइट के डैवलपमैन्ट के लिए आपके अनुरूप जवाब देगी। परंतु आज तक सरकार के द्वारा उस साइट पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने हरियाणा सरकार की पालिसी से अलग राखीगढ़ी के लिए क्या प्रस्तावित योजनाएं बनाई हैं, जो आने वाले समय में राखीगढ़ी को दुनिया के नक्शे पर पहुंचाने का काम करेगी। ... (व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा : माननीय सांसद का यह कहना है कि राखीगढ़ी की साइट हमारी सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक मानी जाती है।... (व्यवधान) इसमें कोई दो राय नहीं है कि राखीगढ़ी पुरातात्विक दृष्टि से बहुत आधिक महत्वपूर्ण है। इस विषय में हमारे मंत्रालय द्वारा एक समिति बनाकर राखीगढ़ी के विषय में जांच जारी है। अभी वहां कुछ जगहों पर बस्तियां बस गई हैं, इसलिए काम करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन राखीगढ़ी के महत्व को समझते हुए राखीगढ़ी का प्रस्ताव हमारे मंत्रालय के विचाराधीन है और इस पर कार्य जारी है। मैं माननीय सांसद को शीघ्र ही इस विषय में डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप लोग अपनी सीटों पर जाइये, इस तरह से कागज दिखाना अच्छा नहीं है। आई एम सॉरी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 165 से 180

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070)

* **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : मैं अपना निर्णय दूंगी, फिर आप चाहे जितना बोलें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया, के.सी. वेणुगोपाल, सुदीप बंदोपाध्याय, जय प्रकाश नारायण यादव, धर्मेंद्र यादव, डॉ. ए. संपत, एडवोकेट जॉइस जॉर्ज, श्री के.एन. रामचन्द्रन, प्रो. सौगत राय, एन.के. प्रेमचंद्रन, पी.के. बीजू, जीतेन्द्र चौधरी, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, जोस के. मणि, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद बदरुद्दोज़ा और पी. करूणाकरन से रु 1000 रु और रु 500 रु के नोट के विमुद्रीकरण पर स्थगन प्रस्ताव की सुचनाएं प्राप्त हुई हैं। चूंकि , यह मामला महत्वपूर्ण है इसलिए आज के कामकाज में व्यवधान की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : पहले पेपर ले तो करवा लूँ। आपको आज बोलने दूंगी न, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले पेपर ले तो करवा लूँ।

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

… (*व्यवधान*)

[हिंदी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : महोदया, मैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। ... (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5475/16/16]

[अनुवाद]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (संशोधन) नियम, 2016 जो16 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 523(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5476/16/16]

(2) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2016 जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 788(अ) में

प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5477/16/16]

(3) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत कॉफी बोर्ड (संवर्ग और भर्ती) नियम, 2016, जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 872(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5478/16/16]

(4) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5479/16/16]

(5) (एक) शैलॉक एंड फोरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शैलॉक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शैलॉक एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (पूर्ववर्ती शैलॉक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5480/16/16]

(6) (एक) प्लॉस्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लॉस्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5481/16/16]

(7) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5482/16/16]

(8) (एक) काउंसिल फॉर लैदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर लैदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5483/16/16]

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पी.ई.सी. लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5484/16/16]

(दो) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5485/16/16]

(तीन) एस.टी.सी. लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5486/16/16]

(10) (एक) सेंट्रल पप्ल एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5487/16/16]

(11) (एक) कैमिकल्स एंड एलाइड प्रोडकट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5488/16/16]

(12) (एक) बेसिक कैमिकल्स कॉस्मैटिक्स एंड डाइज़ एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक कैमिकल्स कॉस्मैटिक्स एंड डाइज़ एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5489/16/16]

(13) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 2895(अ), जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 19 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5490/16/16]

… (*व्यवधान*)

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5491/16/16]

(3) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन)नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5492/16/16]

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

1 (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा आभियान, आईजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम सर्व शिक्षा आभियान, आईजोल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5493/16/16]

3 (एक) महिला समाख्या कर्नाटक, बैंगलोर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या कर्नाटक, बैंगलोर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5494/16/16]

(5) (एक) केरल सर्व शिक्षा आभियान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल सर्व शिक्षा आभियान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5495/16/16]

(7) (एक) उजाला सोसायटी, जम्मू के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसायटी, जम्मू के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5496/16/16]

(9) (एक) राजस्थान काउंसिल आफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल आफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5497/16/16]

11 (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल (सर्व शिक्षा आभियान), चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल (सर्व शिक्षा आभियान), चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5498/16/16]

(13) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा आभियान), पंचकुला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा आभियान), पंचकुला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5499/16/16]

(15) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5500/16/16]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विणु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5501/16/16]

(ख) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5502/16/16]

(ग) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5503/16/16]

(घ) (एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5504/16/16]

(ङ) (एक) बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5505/16/16]

(च) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5506/16/16]

(छ) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5507/16/16]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5508/16/16]

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5509/16/16]

(तीन) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5510/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, आभिकल्प और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम् के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, आभिकल्प और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम् के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, आभिकल्प और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम् के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5511/16/16]

(2) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आधिनियम, 2014 की धारा 50 के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (परिषद) नियम, 2016, जो दिनांक 6 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि. 856 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5512/16/16)

(3) योजना और वास्तुकला विद्यालय आधिनियम, 2014 की धारा 29 के अंतर्गत योजना और वास्तुकला विद्यालय संविधि, 2016, जो दिनांक 14 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना सं. सा.का.नि. 979 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5513/16/16)

अपराह्न 12.03 बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(1) 27वां और 28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ:-

(1) (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की "अनुदानों की मांगों 2016-17' के बारे में 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) मेँ अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के 'स्वायत्तशासी संस्थानों का कार्यकरण- सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग टेक्नॉलॉजी(सीआईपीईटी) और इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नॉलॉजी (आईपीएफटी)' विषय पर 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28 वाँ प्रतिवेदन।

… (*व्यवधान*)

(2) की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

श्रीमती अंजू बाला: मैं 'अनुदानों की मांगों (16-16) (भेषज विभाग) के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई संबंधी उत्तरों का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

… (*व्यवधान*)

_____

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 226वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति **

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 226वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य रखता हूं।

… (*व्यवधान*)

** सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5515/16/16

<u>अपराह्न 12.04 ½ बजे</u>

(2) (एक) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।**

[हिन्दी]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ :-

इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास " के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ :-

इस्पात मंत्रालय से संबंधित "लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास " के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

———————

… (*व्यवधान*)

** सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें क्रमशः संख्या एल.टी. 5516/16/16 और 5517/16/16।

अपराह्न 12.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बोलिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, आज सारे भारत में आक्रोश दिन मनाया जा रहा है।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आक्रोश आपके खिलाफ हो सकता है। मैं क्या करूँ?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्होंने जो कदम उठाया है, उसकी वजह से किसान, गरीब, मजदूर, अनआर्गनाइज्ड वर्कर्स, गृहिणी, महिला आदि सभी लोग तंग हैं।... (व्यवधान) आज एक पैसा भी बैंक से नहीं निकाल सकते।... (व्यवधान) जो काम उन्होंने किया है, उसकी वजह से सारे देश में एक आर्थिक अव्यवस्था हो गई है।... (व्यवधान) उस अव्यवस्था की वजह से पूरा देश आज बर्बाद हो रहा है।... (व्यवधान) खासकर के जो काला धन निकालने के लिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनको बोलने दीजिए। आप भी बोलेंगे। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: काला धन के बारे में और उसको बन्द करने के बारे में हमारा पूरा सपोर्ट है।... (व्यवधान) लेकिन जिस ढ़ँग से यह किया गया है और जिस ढ़ँग से आज यह माहौल क्रिएट किया गया है, मैं एक ही उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इस सदन के और इस सरकार के एक मंत्री अपने भाई का शव लाने के लिए हॉस्पिटल गए और वहाँ उन्होंने पुराने नोट दिए तो उस वक्त उस हॉस्पिटल ने यह कहा कि ये पुराने नोट नहीं चलते और 8 तारीख के दिन प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है ये कागज के टुकड़े हैं।... (व्यवधान) उन्होंने कहा कि जब ये कागज के टुकड़े हैं तो हम हॉस्पिटल वाले इन्हें कैसे स्वीकार करें तो इसलिए उनको चेक देकर आना पड़ा।... (व्यवधान) उनको मनवाना पड़ा।... (व्यवधान) उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं मॉफी माँगता हूँ और जो आपको तकलीफ हो रही है, सामान्य जनता को भी यह तकलीफ हुई है, मैं प्रधान मंत्री को और गवर्नमेंट को जाकर यह बताऊँगा।... (व्यवधान) ऐसा एक यूनियन मिनिस्टर कहते हैं।... (व्यवधान) यह सबूत है।... (व्यवधान) कॉमन आदमी की क्या हालत है, मजदूरों की क्या हालत है?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अन्य दूसरे लोगों की क्या हालत है?... (व्यवधान) इसलिए हम यह चाहते हैं कि आप हमें एडजर्नमेंट मोशन के लिए अलाऊ कीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, कृपया स्थगन प्रस्ताव पर नहीं।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम आपको सारी चीजें बतायेंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप बन्दोपाध्याय जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बात हो गई है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, 70 से ज्यादा लोग मर गए हैं।... (व्यवधान) कम से कम 1,200 लोग घायल हो गए हैं।... (व्यवधान) तो इसीलिए यह जरूरी है कि आप एडजर्नमेंट मोशन को अलाऊ कीजिए, हम आपके सामने सारी चीजें रखेंगे।... (व्यवधान) उस वक्त मालूम होगा कि मोदी साहब सच हैं या हम सच हैं।... (व्यवधान) सारी जनता आज जो कर रही है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात हो गई है। सुदीप जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, लम्बा भाषण नहीं देना है। मैंने थोड़ी सी बात बोलने के लिए कहा है। अब आप कम्प्लीट कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: दूसरी बात यह है कि इस डेड लॉक को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है और वह यह है कि प्राइम मिनिस्टर सदन में आयें, एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करें और हमें बात करने के लिए आप सहमति दें।... (व्यवधान) यह जनता का मामला है।... (व्यवधान) यह 125 करोड़ जनता की समस्या है।... (व्यवधान) यह सिर्फ एक-दूसरे की समस्या नहीं है।... (व्यवधान)

मैडम, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सहमति दें और हम सबको यहाँ बात करने की अनुमति दें।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, हमारा लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि सभा सुचारू रूप से चले। हम चाहते हैं कि सभा चले। … (*व्यवधान*)

सत्ताधारी दल को एक भूमिका निभानी है। सत्ताधारी दल और सरकार से मेरा निवेदन है कि उन्हें कोई रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे किसी समाधान पर पहुंच सकें ताकि चर्चा हो सके। … (*व्यवधान*)

हम अपनी टिप्पणियाँ सदन में रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जवाब दें और स्वस्थ वाद-विवाद हो। … (*व्यवधान*)

आज कोलकाता में कुमारी ममता बनर्जी ने पांच लाख से ज्यादा लोगों की रैली शुरू कर दी है। अभी तो उन्होने शुरुआत की है। … (*व्यवधान*)

महोदया, हम कहना चाहते हैं कि जनता परेशान है। अगर हम सभा में इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि संसद किस लिए है। लोगों को पता चलना चाहिए कि सरकार क्या सोच रही है। प्रधानमंत्री सदन को संबोधित नहीं कर रहे हैं। लोग क्या महसूस करेंगे? हम संसद में किस लिए हैं। ... (व्यवधान) एक मिनट सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। हम हाउस चलाएँगे। ... (व्यवधान) आम लोगों की तकलीफें सातवें आसमान पर हैं। उन्हें राहत देने वाला कोई नहीं है। उन्हें राहत कैसे मिलेगी? उन्हें कैसे फायदा होगा? कुमारी ममता बनर्जी शुरू से किसके लिए लड़ रही हैं? वह गरीब लोगों के लिए लड़ रही हैं। [हिन्दी] ब्लैक मनी को रिकवर करने के लिए हम लोग सबसे पहले सपोर्ट देंगे सरकार को। ब्लैक मनी रिकवर हो, लेकिन एक प्लांड वे में हो, एक सिस्टमैटिक वे में हो। हेस्टी डिसीजन में पूरी स्थिति गड़बड़ हो गई है। थोड़ा डिसकशन करके कुछ रास्ता निकालना चाहिए।

[अनुवाद] यही एकमात्र निवेदन है... (*व्यवधान*) हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाए। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः आपने कोई सूचना नहीं दी है। हाँ, मुलायम सिंह जी। सुदीप जी, आपकी बात हो गई है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री आकर यहाँ स्टेटमैंट दें, अपनी बात कहें कि क्या मजबूरी थी कि ऐसा किया है, तो उन्हीं के सम्मान के लिए यह है। वे सदन में अपनी बात करें। लेकिन अगर यह कहें कि प्रधान मंत्री इतने महत्वपूर्ण सवाल पर भी नहीं आएँगे, तो सदन का क्या महत्व उनके मन में है? पूरा देश चिन्तित है और पूरे देश में यह हालत है कि खेत बोये नहीं जा रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि बीज नहीं है, पानी नहीं है और सबसे बड़ी समस्या किसान की हो गई है। जब किसान बरबाद होगा, तो देश तो बरबाद हो ही जाएगा। सबसे ज्यादा असर यदि किसी पर पड़ा है तो किसानों पर पड़ा है, गरीबों और मजदूरों पर पड़ा है। यह सवाल गंभीर है। इस गंभीर सवाल पर चर्चा भी करा दीजिए और अगर आप चर्चा के लिए नहीं मान रही हैं तो प्रधान मंत्री जी आकर स्टेटमैंट दें। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदया, सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले से सभी क्षेत्रों के लोगों को परेशानी हो रही है। हम हमेशा चर्चा के लिए तैयार हैं। सभा को सुचारु रूप से चलाना वास्तव में सरकार का कर्तव्य है। अध्यक्ष महोदया सरकार को भी चर्चा कराने की सलाह दे सकते हैं। हम चर्चा के खिलाफ नहीं हैं। इस सभा में ही ऐसे कई उदाहरण आए जब इतना गंभीर मुद्दा उठा और सरकार आगे आई। हमने सोचा था कि पहले दिन हमारे प्रधानमंत्री इस सभा में आएंगे और बताएंगे कि उन्होंने एक नया निर्णय लिया है और यही

असली मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए हैं और वह जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि वह सार्वजनिक बैठकों में जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। प्रधानमंत्री देश के अकेले प्रधानमंत्री नहीं हैं ...*।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : यह नाम नहीं जाना चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन: प्रधान मंत्री भारत के प्रधान मंत्री हैं। जब लोग पीड़ित हैं तो प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हम आपसे अनुरोध करते हैं कि नियम 56 के तहत चर्चा की अनुमति दें।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं? मैंने उनको बैठने के लिए बोल दिया है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में आक्रोश दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? बिना परिस्थिति और परिणाम के आकलन किए हुए नोटबंदी का अव्यावहारिक निर्णय लिया गया जो जनविरोधी है, जो दुखदायी है। आज गरीब और आम आदमी परेशान है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दवा नहीं मिलती है। आज लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आज माता और बच्चे तकलीफ में हैं। इन्होंने वादा किया था कि काला धन विदेश से लाएँगे। विदेश से तो नहीं लाए। इन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया बनाएँगे, ये तो बैक इन इंडिया शुरू कर दिये हैं। आज अराजकता की स्थिति है। यह राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। सबको अपनी बात कहने का हक है।

आज सदन चले और माननीय प्रधानमंत्री यहां आएं। ... (व्यवधान) एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार किया जाए। ... (व्यवधान) यहां पर बहस हो। ... (व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. कुमार।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः आपने कोई सूचना नहीं दी है।

… (*व्यवधान*)

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट के विमुद्रीकरण की अचानक घोषणा के कारण आम लोग प्रभावित हुए हैं। इसलिए, सरकार युद्ध स्तर पर स्थिति को आसान बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बस हो गया, सबको नहीं।

... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैडम, मैंने पहले भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं। पास्ट तो टेंस था ही, प्रेजेंट तो काफी टेंस हो गया है और फ्यूचर भी टेंस होने वाला है। यह जो परिस्थिति की सृष्टि हुई है, इससे आगे निकलकर हमें जाना है। इसलिए मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम सरकार को करना है, पहल सरकार को करनी है। नोटिसेज तो अपोजीशन की तरफ से हम सब दिए हैं, कोई एडजर्नमेंट मोशन की नोटिस दिए हैं, कोई नियम 193 में दिए हैं और कोई नियम 184 में भी नोटिस दिए होंगे। ये तीन ही व्यवस्था हैं, जिन पर सरकार विचार करे और आप विचार करें और आपस में मिल-बैठकर इसको आगे बढ़ाना है। मैं यही चीज आपके सामने रखता हूं।

दो हफ्ते बीत चुके हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण विधेयक आने वाले हैं। जो देश की परिस्थिति है, इस परिस्थिति के बारे में हमको यहीं इसी हाउस में चर्चा करनी है और इसके समाधान की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए मैं आपके जरिए सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, कई लोग कह रहे थे कि हम वेट कर रहे हैं कि मंडे, आज 28 तारीख को देश में क्या होने वाला है, उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे। मैं यही निवेदन करता हूं कि आज तो 28 तारीख हो गई, जो भी होने वाला है, जिस तरह का आक्रोश या बंद या जो भी है ... (व्यवधान) जो भी हुआ है, वह सारे लोगों को पता चला है कि क्या है। ... (व्यवधान) इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा कि लोग दिक्कतें झेल रहे हैं। [अनुवाद] हर दिन लोगों को परेशानी हो रही है। इसके लिए कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। सरकार को विपक्ष से सुझाव लेने की भी जरूरत है। यही कारण है कि श्री सुदीप बंदोपाध्याय के साथ मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि आइए कोई रास्ता निकालें। आइए बैठकर कोई रास्ता निकालें। आप भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। आपके माध्यम से सरकार से ये मेरी विनती है।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, भारत बंद का ऐलान हुआ था, आक्रोश दिन मनाने का ऐलान हुआ था, इन दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दिया। ... (व्यवधान) मैं और मेरे साथी सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे। ... (व्यवधान) शहरी इलाके में परिस्थिति में सुधार जरूर आ रहा है, पूरी तरह से नहीं सुधरी है, लेकिन ग्रामीण इलाके में पर्टिकुलरली महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, यहां कोआपरेटिव का नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर मैं आंकड़े दे दूं तो 503 कोआपरेटिव बैंक्स हैं, जिनकी 6 हजार शाखाएं हैं, 18 हजार कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं और उनकी 23 हजार शाखाएं हैं। डिस्ट्रिक्ट बैंक, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक 33 हैं, उनकी 4 हजार शाखाएं महाराष्ट्र में हैं। यह आंकड़े से पता चलता है कि रूरल जो हमारी जनता है, वह उनके साथ जुड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर को मिलने के बाद उन्होंने हमें बताया कि कोई रास्ता निकालने का मैं प्रयास करूंगा।

दूसरे दिन फाइनेंस सेक्रेटरी ने टीवी के ऊपर ऐलान भी किया कि 21 हजार करोड़ रुपए हम नाबार्ड के थ्रू डिस्ट्रिक्ट बैंक को दे देंगे, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं दिया। ... (व्यवधान) हालात वहीं के वहीं हैं। ... (व्यवधान)

आदरणीय वित्त मंत्री जी भी सदन में बैठे हैं। यह ऐलान टीवी पर किया। ... (व्यवधान)

प्रेस मैंने देखा ... (व्यवधान) लेकिन दुर्भाग्य से परिस्थिति में ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं न, बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री आनंदराव अडसुल: ग्रामीण इलाके में परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। ... (व्यवधान) जहां कोआपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए न। यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, कृपया आप इस चर्चा की अनुमति दें... (*व्यवधान*)

श्री आनंदराव अडसुल: मेरी विनती है कि डिसकशन से पहले कोऑपरेटिव मूवमैंट को पैसे देने की बात हो सकती है।... (व्यवधान) चर्चा होनी चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था कि सरकार जिस तरह चाहे, लेकिन चर्चा होनी चाहिए।... (व्यवधान) लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए।... (व्यवधान)

अपराह्न 12.20 बजे

(इस समय श्री गौरव गोगोई, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है, वह फैसला ऐतिहासिक है, साहसिक है और साथ ही प्रो-पुअर है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं।... (व्यवधान) देश में कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो हमारी सरकार द्वारा, हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा लिए गए इस फैसले पर इस आधार पर सवालिया निशान लगाए कि इसमें कहीं बदनीयत यानि हमारी सरकार की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता।... (व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि इसके इम्प्लीमैंटेशन को लेकर किसी को शिकायत है तो पहले दिन से ही हम सब लोग चर्चा के लिए, बहस करने के लिए तैयार हैं।... (व्यवधान) लोगों द्वारा जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए भी हम सब तैयार हैं।... (व्यवधान) लेकिन जो फैसला लिया गया है, वह राष्ट्र हित में लिया गया फैसला है।... (व्यवधान) मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह फैसला काले धन के खिलाफ एक जंग है और सारे देश ने इसी रूप में इसे स्वीकार किया है।... (व्यवधान)

जहां तक प्रधान मंत्री जी के सदन में आने का प्रश्न है, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि चर्चा प्रारंभ हो, चर्चा किस नियम के अंतर्गत होनी चाहिए, यदि इस पर कोई फैसला करने के लिए अधिकृत है तो अध्यक्ष महोदया ही हैं।... (व्यवधान) आप फैसला करें कि किस नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा होगी।... (व्यवधान) हम सब लोग चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।... (व्यवधान) हम इस संबंध में प्रतिपक्ष को भी सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।... (व्यवधान) इसलिए इस पर बहस प्रारंभ होनी चाहिए। हमें बहस को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।... (व्यवधान) जहां तक प्रधान मंत्री जी के आने का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि प्रतिपक्ष चाहता है कि प्रधान मंत्री जी भी आएं तो प्रधान मंत्री जी आएंगे और जहां आवश्यक हुआ, पूरी बहस में इंटरवैंशन करेंगे।... (व्यवधान) मैं प्रतिपक्ष को यह यकीन दिलाना चाहता हूं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.23 बजे</u>

पत्र सभा पटल पर रखे गए ... जारी

माननीय अध्यक्ष: मद सं. 7क, श्री अरुण जेटली।

… (*व्यवधान*)

वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं० 35/2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो 28 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन पीओएस उपकरणों के विनिर्माण के सभी माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सी वी शुल्क में छूट प्रदान किया जाना है और ये छूट 31.03.2017 तक मान्य होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूँ..... (*व्यवधान*)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5514/16/16]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, मुझे शून्य काल शुरू करने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर रोज ऐसे नहीं होगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको क्या करना है?

[अनुवाद]

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

… (*व्यवधान*)

नियम 377* के अधीन मामले

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सदन के पटल पर रखे जाएंगे। प्रक्रिया के अनुसार सदस्य व्यक्तिगत रूप से मामले का पाठ सभा पटल पर सौंप सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : देश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यक्रम लागू है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के पुष्टाहार योजना को सम्पूर्ण देश में लगभग 26 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा समर्पित भाव से लागू किया जा रहा है। उसके बदले में उन्हें मामूली मानदेय प्रदत्त किया जाता है। देश के सभी राज्यों में अलग-अलग दर से मानदेय दिया जाता है जबकि पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने की व्यवस्था लागू है। पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्टाहार योजना एवं प्रदेश की अन्य बहुत-सी योजनाएं जैसे पल्स पोलियो, साक्षरता आभियान, जनगणना, चुनावी ड्यूटी आदि कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संपन्न कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद इन्हें देश में लागू न्यूनतम मजदूरी की दर से मानदेय न दिये जाने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अपने परिवार का पालन-पोषण करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी संघ अपनी ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अतः भारत सरकार से मांग करता हूं कि इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सम्मानजनक मानदेय निधाररित किया जाये तथा इन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाये क्योंकि आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता सरकार के सभी राष्ट्रीय कार्य जैसे पल्स पोलियो, जनगणना, साक्षरता आदि कार्य करने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।

(दो) गुजरात में प्रताप नगर (बड़ौदा) से जम्बूसर की मीटर गेज का आमान परिवर्तन करने तथा राज्य में भरूच से जम्बूसर तक एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच से जम्बूसर तक नई रेलवे लाईन बनाने की मांग कई दशकों से की जा रही है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध कर चुका हूँ। मैं सरकार का ध्यान वर्तमान समय में प्रताप नगर (बड़ौदा) से जम्बूसर तक मीटर रेलवे लाईन पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस मीटर रेलवे लाईन पर प्रतापनगर (बड़ौदा) एवं जम्बूसर तक एक रेल सेवा सुबह-शाम चलती है परन्तु मीटर लाईन के कारण यह रेल सेवा बहुत ही धीमी गति से चलती है। इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि प्रतापनगर (बड़ौदा) से जम्बूसर तक नई रेलवे लाईन का निर्माण किया जाये। निर्माण करने के बाद प्रतापनगर (बड़ौदा) से जम्बूसर रेलवे सेवा को जम्बूसर से भरूच तक बढ़ाया जाये। इस कार्य से भरूच में कार्य करने वाले मजदूरों को जम्बूसर से भरूच तक आने-जाने में काफी सुविधा होगी। भरूच से जम्बूसर के शिव मन्दिर में दर्शनों के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। इस रेलवे लाईन के निर्माण से जम्बूसर एवं भरूच के बीच पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।

सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान प्रतापनगर (बड़ौदा) के बीच मीटर रेलवे लाईन को ब्राडगेज में बदलने एवं ब्राडगेज रेलवे के निर्माण के बाद ब्राडगेज रेलवे लाईन को जम्बूसर से भरूच के बीच नई रेलवे लाईन से जोड़कर प्रतापनगर से सीधे भरूच रेल सेवा चलाई जाये।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दूरस्थ एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के प्रयोजनों के लिए जलसंचय टैंकों के निर्माण की दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कास्वां **(चुरू) :** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में पानी संचयन हेतु डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। उसमें वर्ष 2013-14 में यह राशि डिग्गी निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत यानि 3.00 लाख रूपए दी जाती थी। वर्तमान में सरकार द्वारा तय ईकाई लागत का डिग्गी पर 50 प्रतिशत या आधिकतम मात्र 2.00 लाख रूपए एवं जल हॉज निर्माण पर मात्र 75000 रूपये कर दिये गये हैं, जो कि बहुत कम है। वास्तविक ईकाई लागत ज्यादा आती है जबकि सरकार ने जो एस्टीमेट तय किया है वह वास्तविक लागत से बहुत ही कम है। जहाँ पानी, सड़क परिवहन की सुविधा वगैरह है, वहां ईकाई लागत कम आती है लेकिन दूर-दराज मरूस्थलीय इलाकों में सरकार द्वारा तय ईकाई लागत पर डिग्गी या जल हॉज निर्माण करना बिल्कुल सम्भव नहीं है। दूर-दराज के रेगिस्तान इलाकों में 20 लाख लीटर क्षमता वाली डिग्गी एवं जल हॉज निर्माण के लिए माल परिवहन सहित लगभग 6.00 लाख रूपये से कम लागत नहीं आती है। अतएव मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी किसानों को डिग्गी निर्माण पर कम से कम 3.00 लाख रूपए एवं जल हॉज निर्माण पर 2.00 लाख रूपये अनुदान राशि दिलवाने की कृपा करें।

(चार) गुजरात के वडोदरा में छायापुरी रेलवे स्टेशन का उन्नयन कर सेटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा) : मैं माननीय मंत्री जी सो जानना चाहूँगी कि उनके नेतृत्व में भारतीय रेल विकास की दिशा-दशा में कई सारे सराहनीय कदम उठाए गए हैं। रेल बजट 2015-16 में सेटेलाईट स्टेशनों के विकास का प्रयोजन एवं प्रस्ताव रखा गया है। बड़ोदरा, गुजरात की सांस्कृतिक और शिक्षा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। महाराजा, सयाजिराओ, विश्वविद्यालय, एशिया की सबसे बड़ी रेजीडेन्सियल यूनिवर्सिटी है। साथ-साथ भारतीय रेल आधिकारियों के लिए, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी प्रमुख संस्थान है। बड़ोदरा में देश का सबसे पहला जन-भागीदारी से बना आदर्श बस स्टेशन है। बड़ोदरा जिले में काफी संख्या में औद्योगिक ईकाइयाँ भी कार्यरत हैं। देश का सर्वप्रथम रेलवे विश्वविद्यालय भी बड़ोदरा में स्थापित होगा।

बड़ोदरा के छायापुरी स्टेशन को सेटेलाईट स्टेशन के रूप में निर्माण करने की संकल्पना को बड़ोदरा रेलवे डिवीजन के आधिकारीगणों द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर आगे की मंजूरी के लिए रेलवे हेडक्वार्टर भेज दिया गया है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि बजट में घोषित इस योजना हेतु बड़ोदरा के छायापुरी स्टेशन को सेटेलाईट रेल स्टेशन के रूप में निर्माण करने के कार्यक्रम को कब क्रियान्वित किया जाएगा।?

(पाँच) मुम्बई विमानपत्तन के आस-पास निर्माण/विकास हेतु वर्तमान कानूनों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व): नए निर्माण के लिए ऊंचाई प्रतिबंध के संबंध में मुंबई हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों के लिए एक पूर्ण पारदर्शी योजना तैयार करने की आवश्यकता है। समिति की वर्तमान व्यवस्था और मामला दर मामला आधार पर निस्तारण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। आधुनिक प्रोद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए और मुंबई हवाई अड्डे के आस-पास निर्माण/विकास के लिए पूर्ण अनुमेय ऊंचाई तैयार की जानी चाहिए और एक बार में घोषित की जानी चाहिए। बॉम्बे नगर निगम और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के तहत मुंबई के शेष क्षेत्रों को इसी तरह से कवर किया जाना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से आग्रह है कि इस प्रक्रिया में तेजी लाए और इस संबंध में मंत्रियों के समूह को विचार के लिए विवरण भेजें।

(छह) बिहार में शिवहर के रास्ते सीतामढ़ी से मोतीहारी रेल लाइनपरियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : मैं सरकार का ध्यान अपने शिवहर संसदीय क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत नई रेल लाईन सीतामढ़ी से बापूधाम मोतीहारी वाया शिवहर की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। पूरे देश के मैदानी इलाके में मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें एक किलोमीटर भी रेलवे लाईन नहीं है, यह क्षेत्र इतना पिछड़ा है कि कई लोगों ने अभी तक रेल गाड़ी नहीं देखी है, सुना जरूर है। बिहार का शिवहर जिला औद्योगिक, शिक्षा एवं मानवीय जीवन स्तर की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा है क्योंकि इस जिले में बुनियादी विकास संरचना का पूरा अभाव है जिसमें रेलवे भी एक है। इस रेल लाईन का प्राक्कलित राशि 926 करोड़ रूपए है। इस कार्य में भूमि आधिग्रहण हेतु एक अरब चौरानवे करोड़ चालीस लाख एक हजार चार सौ चोहत्तर रूपए प्रथम चरण में सीतामढ़ी से शिवहर जिला मुख्यालय जोड़ने का प्रस्ताव है। जिसमें कुल 13 मजा के भूमि खंड को भू-अर्जन नीति-2013 के तहत आधिग्रहित किया जाना है। यह प्रस्ताव जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा उप मुख्य आभियंता (निर्माण) पूर्व मध्य रेलवे रकसौल को दिया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि 10 जून, 2016 को माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी द्वारा मोतीहारी, बिहार में रेलवे के एक कार्यक्रम में उक्त रेल लाईन निर्माण में भू-अर्जन हेतु धन की कमी न होने देने की घोषणा की गयी थी। घोषणा के आधार पर उपरोक्त रेलवे लाईन के पहले फेज में भूमि अर्जन में अनुमानित एक अरब चौरानवे करोड़ चालीस लाख एक हजार चार सौ चोहत्तर रूपए की व्यवस्था रेलवे को तत्काल करना चाहिए। इस कार्य को करने में अगर देरी की गई तो उसकी लागत में बढ़ोतरी हो जाएगी।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि सीतामढ़ी से बापूधाम मोतीहारी वाया शिवहर नई रेल लाईन के निर्माण हेतु पहले फेज में भूमि आधिग्रहण कार्य को पूरा करने के लिए एक अरब चौरानवे करोड़ चालीस लाख एक हजार चार सौ चोहत्तर रूपए की राशि उपलब्ध करायी जाये।

(सात) अनुसूचित जनजातियों को देश के मूल नागरिक माने जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. रिचर्ड हे (नाम निर्देशित): अनुसूचित जनजातियाँ भारतीय परंपरा का एक समृद्ध, अद्वितीय और विविध तत्व हैं। उनकी अपनी भाषा, बोली, परंपरा, रीति-रिवाज, मिथक, अनुष्ठान प्रथाएं, देवता, कलाएं और प्रदर्शन कलाएं आदि हैं।

कई जनजातियों को देश का मूल निवासी माना जाता है। उन्हें देश के प्रथम नागरिक के रूप में मनोनीत करना और संबोधित करना उचित होगा। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह जनजातियों को भारत के प्रथम नागरिक के रूप में नामित करने के लिए कदम उठाए।

मैं भारत सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि वह अनुसूचित जनजातियों की समृद्ध परंपरा, कला, संस्कृति का दस्तावेजीकरण कर उन्हें संरक्षित करने के उपाय करे । इसके अलावा, देश और विदेश में अनुसूचित जनजातियों की परंपरा, बोली, मिथकों, रीति-रिवाजों, कलाओं, औषधियों को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएं।

(आठ) सैन्य बलों के शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को एक समान आर्थिक राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीश मीना (दौसा) : मैं सरकार का ध्यान शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली राशि की ओर आकर्षित करवाना चाहूँगा।

देश की रक्षा में आए दिन कई वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे व लगाते आ रहे हैं। जो सैनिक देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग देता है उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन हाल ही में देखने में आ रहा है कि इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। कौन किस मुठभेड़ या किस हमले में शहीद हुआ उस हिसाब से हर प्रदेश शहीद के परिवार को मुआवजा तय करती है। हर प्रदेश सरकार अपने राजनीतिक या व्यक्ति-विशेष संकीर्ण कारणों से इसकी घोषणा करती है। कोई प्रदेश 1 लाख देता है तो कोई 1 करोड़। यह भेदभाव गलत व दुखद है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जो सैनिक चाहे वह रक्षा बल से हो या अर्धसैनिक बल से, जो देश की रक्षा में अपने प्राण त्यागता है ऐसे सैनिकों की "शहीद " परिभाषा तय हो और इन्हें दिये जाने वाले मौद्रिक व अन्य मुआवजे समान हो।

साथ ही केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सभी सैनिकों के परिवारों का समांतर मुआवजे तय कर आदेश पारित करें।

(नौ) एकीकृत कॉफी विकास परियोजना का लाभ मध्यम, बृहद और कार्पोरेट कॉफी बागानों को दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर): सरकार ने 12वीं वित्त योजना के तहत एकीकृत कॉफी विकास परियोजना (आईसीडीपी) के लिए 950 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। हालाँकि, योजना 2012 में शुरू हुई, जबकि बोर्ड को फंड मिलना 2014 में शुरू हुआ। यदि शेष धनराशि 2017 से पहले जारी नहीं की गई, यह समाप्त हो जाएगा और कॉफी उत्पादक सब्सिडी से वंचित हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने पिछले नौ महीनों से सब्सिडी राशि जारी करना बंद कर दिया है और खबर है कि सरकार बोर्ड को फंड आवंटन में 30% कटौती करने पर विचार कर रही है, जो उत्पादकों को और अधिक प्रभावित करेगा। इसके अलावा, कॉफी उत्पादकों को कॉफी के लिए वर्षा बीमा योजना (आरआईएससी) के तहत अनियमित वर्षा के कारण फसल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है। बोर्ड ने पिछले साल 26 करोड़ रुपये जारी करने की मांग करते हुए सुखाने वाले यार्डों, गोदामों, सिंचाई सुविधाओं और अन्य गतिविधियों के लिए सब्सिडी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिसमें से सरकार ने 10 करोड़ रुपये जारी कर दिये। इस साल क्लेम के लिए लगभग रु 35 करोड़ों के आवेदन आएंगे, यानी बोर्ड को पिछले वर्ष के बकाया सहित सभी दावों को निपटाने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 20 % अधिक मायर फंड की आवश्यकता है। मैं सरकार से प्रस्तावित जीएसटी में ग्रीन कॉफी बीन्स को छूट प्राप्त सूची में शामिल करने पर विचार करने का भी आग्रह करती हूँ। कॉफी बोर्ड को कॉफी उत्पादकों की जल संवर्धन और विस्तार गतिविधियों के लिए केंद्रित समर्थन प्रदान करना चाहिए। मैं सरकार से यह भी आग्रह करती हूँ कि एकीकृत कॉफी विकास परियोजना का लाभ मध्यम, बड़े और कॉर्पोरेट बागान मालिकों को दिया जाए ताकि वांछित उद्देश्य प्राप्त हो सकें और कार्यान्वयन के तौर-तरीकों में संशोधन किया जा सके।

(दस) उत्तर कर्नाटक के सेवानिवृत्त कलाकारों की पेंशन उन्हें शीघ्र वितरित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): सेवानिवृत्त कलाकारों को पेंशन की मंजूरी में देरी के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि उनमें से कई कलाकार बहुत वृद्ध हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई अन्य काम करने में असमर्थ हैं, इसलिए उनके लिए आय का एकमात्र स्रोत उनकी पेंशन ही है। पेंशन देने में देरी के कारण पेंशनभोगी, विशेषकर मेरे क्षेत्र से आने वाले जो कि सम्पूर्ण उत्तरी कर्नाटक है तथा जो देश में प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए जाने जाते हैं, घोर गरीबी का सामना कर रहे हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस मामले का संज्ञान लें और पेंशन का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करें।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में मोरंड-गंजाल सिंचाई परियोजना का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : मोरंड-गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना बैतूल, हरदा, टिमहरनी, हरसूद, होशंगाबाद के किसानों की जमीन को सिंचित करने का एकमात्र साधन है। यहाँ किसानों का खेती ही आजीविका का संसाधन है। नर्मदा घाटी प्राधिकरण के नियमानुसार इस जिले का जो पानी है उस पानी से सिंचाई की प्राथमिकता इसी जिले के किसान को ही मिलनी चाहिए।

मोरंड-गंजाल संयुक्त परियोजना में गंजाल नदी बैतूल, हरदा, टिमहरनी, होशंगाबाद जिले की सबसे बड़ी नदी है। अतः इस पानी का लाभ इस जिले के किसानों को उपलब्ध करना पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का लाभ भी इसी मोरंड-गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना से प्राप्त हो सकता है।

इस मोरंड-गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के माध्यम से बैतूल, हरदा, हरसूद, मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल सकता है। अतः मोरंड-गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना को कंडीशनल अप्रूवल का अनुरोध है।

(बारह) देश में टी.बी. के उन्मूलन हेतु प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : भारत में एक समय राजरोग कहलाने वाली टी.बी. की बीमारी देश में पुनः चिंताजनक बन रही है। डब्ल्यू.एच.ओ. के वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक 2014 में भारत में 22 लाख केस, 2015 में 28 लाख केस सामने आए। यह संख्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों के मरीजों की है लेकिन निजी अस्पतालों में इसके आंकड़ें उपलब्ध नहीं है। दुनिया भर में कुल 1 करोड़ 4 लाख टी.बी. पेशेंट हैं जिनमें से 25 प्रतिशत से ज्यादा भारत में है। दुनिया में किसी भी देश में टी.बी. के इतने मरीज नहीं हैं। लॉसेंट जरनल की जानकारी के मुताबिक भारत में 4 लाख 80 हजार लोग टी.बी. की बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए।

दूसरों के संबंध में आने से फैलने वाले रोगों से ग्रस्त मरीजों की होने वाली मृत्यु में टी.बी. प्रथम स्थान पर है। टी.बी. की असरकारक दवाई अब बे-असर होती जा रही है। देश के राज्यों में कई अस्पताल 90 के दशक में टी.बी. पर काबू पाने के तहत बंद किए गए। लेकिन अब इस बीमारी ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। हमें इसकी नई व प्रभावी दवाईयां ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि बी.सी.जी. का टीकाकरण सिर्फ बच्चों के लिए ही प्रभावी रूप से काम करता है। कुपोषण के कारण टी.बी. की बीमारी जोर पकड़ती है। अमीरों की तुलना में गरीब वर्ग में इसके फैलावे का परिणाम 3-4 गुना ज्यादा है। इस पर सुनियोजित ढंग से काबू पा लेना पड़ेगा। आज क्षय की बीमारी को अक्षय बनने से रोकना पड़ेगा।

मेरी मांग है कि देश से टी.बी. की बीमारी को जड़मूल से खत्म करने हेतु सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जाएं।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल बीमा योजना के उचित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजनाओं की शुरूआत की है, वे स्वागतयोग्य है और किसानों में विश्वास जगाने का काम करती है। मगर किसानों को सरकार की इन योजनाओं से जोड़ने का काम स्थानीय बैंकिंग प्रशासन का होता है, लेकिन उनके द्वारा व्यवहारिक रूप से किसानों के बीच इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र जालौन क्षेत्र (उ.प्र.) बुंदेलखण्ड के अंतर्गत आता है जहां किसान पिछले कई वर्षों से आपदाओं को झेल रहा है एवं केंद्र की इन हितकारी योजनाओं से जानकारी के अभाव में जुड़ने से चूक रहा है।

अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं।

(चौदह) यूरोपीय देशों द्वारा अंगूर की खेप को रद्द किए जाने के मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : नियम 377 के माध्यम से मैं सदन का ध्यान एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमंट अथॉरिटी (एपीडा) द्वारा किसान विरोधी कार्य की तरफ दिलाना चाहता हूँ। घटना 2010 की है। ग्रोअर एक्सपोर्ट योजना के तहत किसान अपने उत्पादन का निर्यात भी कर सकता था। अंगूर का निर्यात करने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों ने मिलकर आवश्यक धनराशि एकत्र करके अंगूर की खेती की। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज पर खर्चा किया, मजदूरों पर खर्चा किया, ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया गया, यह सब खर्चे बैंकों से उधार लेकर अंगूर की खेती से लेकर निर्यात करने का प्रयास किया। अंगूर की खेती खराब न हो, इसके लिए किसानों ने सरकार द्वारा निधाररित दवाओं एवं मात्रा के हिसाब से छिड़काव भी किया। एक दवा सी.सी.सी. यानी क्लोरिनिक्यूट क्यलोराईड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स द्वारा सुझाई गई। सी.सी.सी. की मात्रा का उपयोग करने की सलाह पर एपीडा ने नियम बनाए। किसानों ने इन नियमों का पालन पूरी तरह से किया, परंतु एपीडा द्वारा बिना अंगूरों की जाँच किए निर्यात हेतु अनुमति दे दी गई। किसानों के उत्पादित अंगूरों के निर्यात को यूरोप के देशों में भेजने के लिए 2600 कंटेनर भेजे गए, जो कई दिनों तक बंदरगाह पर खड़े रहे हैं। जिनका अत्याधिक किराया भी किसानों को चुकाना पड़ा। अंगूरों में सी.सी.सी. की अत्यधिक मात्रा के कारण इन 2600 कंटेनर को रद्द कर दिया गया। जिससे किसानों को 2010 में कई सौ करोड़ रूपए का नुकसान हुआ और किसानों ने जो ऋण अंगूर की खेती के लिए लिया था, वह उसका भुगतान नहीं कर सके। जिसके कारण किसानों को बैंकों के नोटिस मिल रहे हैं।

मेरा अनुरोध है कि 2010 में अंगूरों को निर्यात करने के लिए जो 2600 कंटेनर रद्द हुए उसमें एपीडा की भूमिका की जाँच कर आधिकारियों के उत्तरदायित्व की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। 2010 में यूरोप को अंगूर उत्पादक निर्यातक किसान (ग्रोअर एक्सपोर्टर) को नुकसान भरपाई (मुआवजा) मिले।

(पंद्रह) मछुआरा समुदाय के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस (एरनाकुलम): मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान देश में मछुआरा समुदाय के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

भारत में मछुआरा समुदाय, विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे दक्षिणी राज्यों में मछुआरा समुदाय को बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है (1) सी.आर.जेड. नियमों के कारण मछुआरों को नए घर बनाने या पुराने घरों के नवीनीकरण से रोका जाता है; (2) समुद्र में और नदियों, तालाबों आदि जैसे अन्य जल निकायों में मछली की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, और इससे मछुआरों की दैनिक आजीविका प्रभावित हुई है: और (3) सरकार की वर्तमान मुद्रा नीति ने पूरे मछली पालन के उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है। मछली पकड़ने वाले पारंपरिक मछुआरों और मछली खरीदने और बेचने वाले व्यापारियों और मछली निर्यात करने वाले उद्योग दोनों के लिए नकदी की कमी है।

मैं केंद्र सरकार से देश के मछुआरा समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने और उन्हें उनकी आजीविका कमाने में सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूँ।

(सोलह) लंबी दूरी की गाड़ियों में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में

श्री के.आर.पी. प्रबाकरन (तिरुनेलवेली): मैं लंबी दूरी के रेल यात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जब तक रेलगाड़ी रेलवे डॉक्टरों वाले स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती, तब तक कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती है।

अतः, मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि प्रत्येक लंबी दूरी की रेलगाड़ी में जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक उपकरणों का प्रावधान करने के अलावा अन्य सहायक कर्मचारियों के साथ एक डॉक्टर की ड्यूटी भी लगाई जाए।

(सत्रह) ई-फार्मेसिज द्वारा औषधियों की बिक्री पर निगरानी हेतु तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. ममताज़ संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर): यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि सरकार के पास इंटरनेट के माध्यम से दवाओं और दवाओं के वितरण, बिक्री या व्यापार को नियंत्रित करने या इसकी निगरानी करने का कोई तंत्र मौजूद नहीं है, जिससे इन दवाओं की गुणवत्ता और प्रभाव से समझौता होने की संभावना बढ़ जाती है - जो अपने आप में एक खतरा है।

कुछ वेब पोर्टल सरकारी मानदंडों और नियमों का पालन किए बिना सीधे ग्राहकों को दवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 (नियम 1945) के अंतर्गत औषधियों के निर्माण, वितरण और बिक्री की निगरानी के अलावा स्टॉक, भंडारण प्रक्रिया आदि के अनिवार्य प्रकटीकरण की परिकल्पना की गई है - जिनकी सरकार द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। लेकिन ई-फार्मेसी किसी भी विनियमन की अवहेलना करते हुए लोगों को दवाएं बेच रही हैं, यहां तक कि कुछ अनुसूचित औषधियों को डॉक्टर के पर्चे के बिना बेचा जा रहा है। किसी जरूरतमंद मरीज, यहां तक कि सरकार के पास भी, इंटरनेट के माध्यम से खरीदी गई दवा की गुणवत्ता या मानक को सत्यापित करने की कोई तरीका नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि औषधियों के भंडारण प्रणाली का कभी भी ऑनलाइन खुलासा नहीं किया जाता है और औषधियां स्थानीय कूरियर कंपनियों द्वारा वितरित की जाती हैं। ऐसे मामलों में कोई भी सतर्क निगरानी तंत्र या दवाओं को वापस मंगाना भी संभव नहीं है।

इस स्थिति को देखते हुए, मैं सरकार से औषधियों की 'होम डिलीवरी' प्रणाली की जांच और निगरानी के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए अनुरोध करती हूँ। मैं सरकार से मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का भी आग्रह करती हूँ।

(अठारह) पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चन्द्रकोना में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): चन्द्रकोना मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। भारत को विश्वभर के शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है, जहां स्कूल और कॉलेज छात्रों को बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पश्चिम मेदनीपुर जिले के चन्द्रकोना में एक सैनिक स्कूल खोलने से पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को उनके घर के निकट ही बेहतर शिक्षा सुविधा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लाभ के लिए शीघ्रातिशीघ्र एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(उन्नीस) ओडिशा के झोडिया पर्जा, दूरूआ और नक्टी डोरा समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री झीना हीकाका (कोरापुट): मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कोरापुट के कोरापुट और रायगढ़ा जिलों के झोडिया पर्जा, दूरुआ और नक्टी डोरा समुदाय ओडिशा के पिछड़े समुदाय हैं। ये पिछड़े समुदाय जीवन शैली, पारंपरिक संस्कृति, आदिम विशेषताओं, भौगोलिक अलगाव, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के दृष्टिकोण से जनजाति समुदायों जैसे ही हैं। इन सभी मुद्दों पर विचार करते हुए, ओडिशा की जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) ने उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। हालांकि, यह मामला लंबे समय से जनजातीय मामलों के मंत्रालय में लंबित है।

इस संबंध में, मैं जनजातीय मामलों के मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे इन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

(बीस) मुम्बई दक्षिण-मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेहूल और अम्बापाडा गांव से जहरीले रसायनों की भंडारण की सुविधा को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई (साउथ सेन्ट्रल) में मेहूल और अम्बापाडा गांव के निवासी जहरीले कैमिकल प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र की आबादी में सीलोर्ड कम्पनी के एजीज लोजिस्टिक्स के बड़े-बड़े गोदाम वर्षों से कायम हैं। यहाँ से खतरनाक जहरीले कैमिकल का आदान-प्रदान होता है। इन गोदामों में जिस पाइपलाईन से कैमिकल सप्लाई होता है वह पाइपलाईन यहाँ की एक रोड के नीचे से क्रॉस करती है जिस पर हैवी ट्रैफिक निकलता है। किसी भी समय कोई भी विस्फोट की संभावना बनी रहती है। सीलोर्ड कम्पनी के इन गोदामों से अत्यंत खतरनाक और जहरीले कैमिकल जैसे कि एसीटोन, एनीलीन, बेंजिन, एन-बूटाइल, अल्कोहल, कॉस्टिक सोडा, हाई स्पीड डीजल, औकटेन, नाफ्था, एन-पैराफीन इत्यादि देश-विदेश में सप्लाई किए जाते हैं। सारा इलाका जहरीले धुएँ और स्मैल से भरा रहता है जिससे इन गांवों के निवासियों की सेहत पर बहुत बुरा असर हो रहा है और वे गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। 18 दिसम्बर 2015 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सीलोर्ड कंपनी के इन गोदामों को यहाँ से स्थानान्तरित करने का ऑर्डर दिया था परन्तु स्थानीय प्रशासन ने इस बारे में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है। इसके अलावा टैंक्स की सफाई करने पर जहरीला वेस्ट वाटर मैदानों में ऐसे ही फैला रहता है और समीप ही समुद्र में चला जाता है जो समुद्री जानवरों के लिए जानलेवा है। यहॉ पर कम्पनी की अपनी कोई सीवर लाईन भी नहीं है। बी.एम.सी. का एक स्कूल भी गोदाम के समीप ही है।

अतः माननीय पर्यावरण मंत्री से मेरा अनुरोध है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की सिफारिशों के आधार पर सीलोर्ड कम्पनी के गोदामों को मेहूल और अम्बापाडा गाँव की आबादी से दूर किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के लिए कारगर कदम उठाएं जिससे इस क्षेत्र के निवासियों की सेहत को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके।

(इक्कीस) मंडल एवं जिला परिषदों को निधियां दिए जाने के बारे में

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): मैं एक गंभीर चिंता का विषय उठाना चाहता हूं। 14वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के बाद से विकेंद्रीकरण का दौर शुरू हो गया है तथा सरकार ने वित्त पोषण के मामले में मंडल और जिला परिषदों की अपेक्षा ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी है। ग्राम पंचायतों को प्रत्यक्ष रूप से सशक्त बनाने का सरकार का कदम एक नेकनीयत कदम है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकरण को पुनर्जीवित करना है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पंचायती राज शासन के सभी 3 स्तरों को एक साथ और व्यक्तिगत रूप से निर्बाध रूप से काम करना चाहिए, ताकि राज्यों में विकास कार्यों को बड़े पैमाने पर किया जा सके।

हमारे संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन मंडल और जिला परिषदों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं, तथा इनके प्रतिनिधियों को चुनावों के माध्यम से चुना जाता है। 14वें वित्त आयोग के आने से ग्राम पंचायतों को प्रत्यक्ष रूप से धनराशि हस्तांतरित होने से ये दोनों स्तर निष्क्रिय हो गए हैं।

यद्यपि , ग्राम पंचायतों का कार्य मुख्य रूप से अपने-अपने गांवों की जरूरतों की देख-रेख करना होता है, मंडल और जिला परिषदों द्वारा किए गए कार्य वृहद स्तर पर होते हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, ये शीर्ष स्तर, विशेष रूप से जिला परिषदें, राज्य सरकार के साथ कार्यों से संबंधित बातचीत और चर्चा के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। उनके अनुभवी पर्यवेक्षण और सलाह से विकास समग्र, कुशल और संगठित तरीके से संभव हो पाता है। यह तथ्य है कि ब्लॉक के माध्यम से ही जिले समृद्ध होते हैं।

आंध्र प्रदेश में, जिला और मंडल परिषदों ने अन्य कार्यों के अलावा जल और सड़क कार्यों को स्वीकृति देने और कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में वित्त पोषण से वंचित रहने के कारण उनकी देखरेख में चलाई जा रहीं अनेक विकास परियोजनाएं रुक जाएंगी। यह विशेष रूप से कठिन है क्योंकि नव-विभाजित आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था नकदी की कमी के कारण जूझ रही है।

उपरोक्त के आलोक में, मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले का संज्ञान ले तथा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में यथाशीघ्र संशोधन करे, जिससे ग्राम पंचायतों को प्रदान की जा रही धनराशि के अतिरिक्त मंडल और जिला परिषदों को भी धनराशि हस्तांतरित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(बाईस) तेलंगाना के मछुआरों को विपणन सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्माम): तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में 46,531 टैंकों को बहाल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी 'मिशन काकतीय' की शुरुआत की है, ताकि 255 टी.एम.सी. जल भंडारण क्षमता बनाई जा सके। इसका उद्देश्य मिशन काकतीय के तहत टैंकों को बहाल करके छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि आधारित आय के विकास को बढ़ाना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जीर्णोद्धार के लिए लगभग 46,531 लघु सिंचाई, छोटे टैंक, रिसाव टैंक, निजी कुंटा और छोटे टैंक की पहचान की गई थी, जिससे ग्रामीण रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और कृषि विकास की भारी संभावना है। चिह्नित टैंकों में से लगभग 50% का निर्माण पूरा हो चुका है।

सतत विकास के माध्यम से मछली उत्पादन और इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कैप्चर और कल्चर फिशरी आधार के तहत सभी संभावित संसाधनों का दोहन करने के लिए, राज्य सरकार ने स्वयं चालू वर्ष के दौरान सभी टैंकों में मछली उत्पादन के लिए 57 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। राज्य सरकार ने मछुआरों को टैंकों में डालने के लिए मछली के लार्वा निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। तेलंगाना में मानसून के अंत में हुई भारी बारिश के परिणामस्वरूप, लाखों टन ताजे पानी की मछलियों के उत्पादन की उम्मीद है।

चूंकि, मछली जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए भारत सरकार को बड़ी मात्रा में पकड़ी गई मछली के लिए विपणन सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, जिससे गरीब मछुआरों को लाभ मिल सके।

अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह तेलंगाना के मछुआरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे।

(तेईस) केरल के कन्नूर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निकट एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर (कन्नूर): कन्नूर अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन कन्नूर जिले के मट्टनूर में बनने वाला एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन है। यह विमानपत्तन कोचीन के बाद केरल में बनने वाला दूसरा ग्रीनफील्ड विमानपत्तन होगा और निर्माण कार्य पूरा होने पर यह तिरूवनन्तपुरम, कोचीन और कालीकट के बाद केरल का चौथा और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन होगा।

उम्मीद है कि विमानपत्तन का व्यावसायिक संचालन वर्ष 2017 के मध्य में शुरू हो जाएगा और यह एक टाउनशिप के रूप में विकसित होगा। इसी के चलते, बड़ी संख्या में अधिकारी इस क्षेत्र में काम करेंगे और आस-पास रहेंगे, इसलिए इस क्षेत्र में मानक शैक्षिक सुविधाएं स्थापित करना आवश्यक है और केरल सरकार के पास इसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध भी है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि वह इस मामले पर ध्यान दें और केरल के कन्नूर संसदीय क्षेत्र में कन्नूर अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निकट एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने के लिए मंजूरी प्रदान करे।

(चौबीस) बिहार के बांका जिले में ककवारा मेगा विद्युत संयंत्र की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) : बिहार राज्य के जिला-बाँका के ककवारा में 4000 मेगावाट की मेगा विद्युत परियोजना हेतु कोयला भंडार एवं सुलतानगंज से गंगाजल की व्यवस्था सहित राज्य सरकार द्वारा 2440 एकड़ भूमि आधिग्रहण हेतु चिन्हित कर लिया गया है। मेगा विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु योजना भी स्वीकृत है।

अतः मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के विशेष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति देने हेतु यथाशीघ्र योजना का कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रक्रिया या औपचारिकता जल्द पूरी की जाये।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.01 बजे

कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016*

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: मैं विधेयक** पुर: स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 28.11.2016 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

<u>अपराह्न 2.01 ½ बजे</u>

(इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा में 'शून्यकाल' चलेगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थानों पर जाएँ। तभी मैं आपकी बात सुनूंगी।

… (*व्यवधान*)

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया । जैसा कि हम यहां सभा में खड़े होकर आक्रोश दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें भारत में हो रही कई अन्य चीजों पर भी *आक्रोश* जाताना चाहिए। … (*व्यवधान*)

हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। ये बच्चे कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ है? इन प्रश्नों के उत्तर से आधुनिक दासता या जिसे हम बाल तस्करी कहते हैं, के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ये बच्चे फटे-पुराने कपड़ों में सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। कुछ बच्चों को अवैध कारोबार में लगा दिया जाता है, जबकि अन्य को वेश्यावृत्ति या पोर्नोग्राफी में धकेला जाता है। … (*व्यवधान*)

बाल तस्करी की प्रक्रिया बहुत जटिल है और यह कई सामाजिक परिप्रेक्ष्यों में घटित होती है। उदाहरण के लिए, बाल तस्करी उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां राज्य सरकारें बच्चों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने में विफल रहती हैं। ऐसा बड़े पैमाने पर गरीबी, अशिक्षा और गांव के दूरस्थता वाले क्षेत्र में देखा जाता है। लोगों को अनावश्यक मुद्दों के बारे में शोर मचाने के बजाय इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। … (*व्यवधान*)

सुव्यवस्थित बाल तस्करी समूह अच्छी तरह से एकीकृत शहरी क्षेत्रों में भी मौजूद हैं जो नियामक प्रणाली की खामियों का फायदा उठाकर अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण दत्तक ग्रहण के लिए तस्करी का मामला है। जबकि दत्तक ग्रहण को कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता है, पिछले एक दशक में गोद लेने के लिए तस्करी के मामलों में 1,400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये ऐसे मामले हैं जहां गोद लेने के नाम पर बच्चों को बेचा जाता है। … (*व्यवधान*)

जहां कुछ माता-पिता इस बात से अनजान होते हैं कि उन्होंने एक तस्करी या चुराए गए बच्चे को गोद लिया है जो किसी अन्य परिवार से हो सकता है, एक अन्य प्रतिवेदन से पता चलता है कि लगभग 46 प्रतिशत तस्करों ने माता-पिता से सहमति प्राप्त की। लेकिन हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चा वास्तव में उन्हीं माता-पिता का है जिन्होंने तस्करी के लिए सहमति दी है? डीएनए परीक्षण का प्रश्न तभी उठता है जब मानव तस्करी का मामला सामने आता है। इसके अलावा, अधिकांश दर्ज मामलों में पुलिस डीएनए परीक्षण केवल तभी कराती है जब संदेह का कोई आधार हो या संबंधित राज्य सरकार इसके लिए कहे। … (*व्यवधान*)

यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक पर विचार करने के लिए इंगित करता है। बाल तस्करी पर विभिन्न एजेंसियों को शामिल करते हुए बहु-आयामी दृष्टिकोण से ही अंकुश लगाया जा सकता है। ये तस्कर न केवल गुप्त रूप से बल्कि जटिल नेटवर्क में भी काम करते हैं। और इस नेटवर्क को समाप्त करने के लिए इसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोडमल नागर, श्री आलोक संजर, श्री निशिकांत दुबे, श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती किरण खेर द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री विजय कुमार।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल।

श्री जितेन्द्र चौधरी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुशील कुमार सिंह।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में बहुत महत्वपूर्ण मसला उठाना चाहता हूं। बिहार में आए दिन पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। मैं जानता हूं कि यह विषय राज्य सरकार का है। ... (व्यवधान) पत्रकारिता पर हमले हो रहे हैं और आए दिन पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। अभी हाल में बिहार के रोहतास जिले में धर्मेन्द्र कुमार सिंह, दैनिक भास्कर से जुड़े हुए युवा पत्रकार की हत्या पत्थर माफिया से जुड़े लोगों ने कर दी। इस तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के संज्ञान में यह विषय लाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि पत्रकारों की हत्याओं पर बिहार सरकार की तरफ से सहायता होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उसके परिवार को एक पैसे की भी सहायता नहीं की गई है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले, परिवार में एक सरकारी नौकरी मिले और सख्त कानून बने ताकि राज्य सरकार किसी को सहायता दे और किसी को न दे, ऐसा न हो सके। एक स्थायी कानून बनना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर उनके परिवारों को मुआवजा मिल सके।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री सुधीर गुप्ता को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल।

[हिन्दी]

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भिवंडी लोक सभा क्षेत्र मुम्बई से लगा हुआ है। वहां पर दिल्ली, अहमदाबाद, नौसारी, बड़ोदरा से पुराना आगरा रोड लगता है जिस पर ट्रकों की काफी आवाजाही होती है।... (व्यवधान) इस वजह से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रैफिक होता है। मेरे लोकसभा के जिले ठाणे से होकर सारा ट्रैफिक मुम्बई जाता है इसलिए ठाणे में बॉटलनैक बन जाता है। अगर दो-चार किलोमीटर भी जाना होता है तो लोगों को तीन-चार घंटे तक ट्रैफिक में परेशान होना पड़ता है। ... (व्यवधान)

मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री से विनती है कि जो ट्रैफिक अहमदाबाद हाईवे और पुराने आगरा रोड से आता है, वह सारा हैवी ट्रैफिक रेलवे रोड और जेएनपीटी ऊरन के माध्यम से जाए तो लोगों को हैवी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता को श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री बैजयंत "जय" पांडा (केन्द्रपाड़ा): भारत में वायु प्रदूषण पिछले कुछ वर्षों में एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। वर्तमान में, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है; जब हम इसकी तुलना बीजिंग से करते हैं तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब दिखाई देता है। … (*व्यवधान*) हमें इसे नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है जैसे क्लाउड सीडिंग, प्रदूषण करने पर

लगने वाला टैक्स, कार पूलिंग और टैक्सी एग्रीगेटर सेवाओं को प्रोत्साहित करना और ऐसा कुछ भी और जो हम अपने शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कर सकते हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री रोड़मल नागर, श्री आलोक संजर और श्री शरद त्रिपाठी को श्री बैजयंत "जय" पांडा द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका, माननीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ ... (व्यवधान) आज यहां कांग्रेस के साथी शोर मचा रहे हैं।... (व्यवधान) इनके कारण शेखावाटी का क्षेत्र रेलवे की दृष्टि से बहुत पिछड़ा रहा है। माननीय रेल मंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का बजट दिया है।... (व्यवधान) वहां मीटरगेज लाइन को हटाकर ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तित किया। ... (व्यवधान) उस पर डेढ़ साल से ट्रेन चल रही है। ... (व्यवधान)

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से एक निवेदन है कि आपने ब्रॉडगेज लाइन बनाकर सीकर-झुंझुनू को देश की मुख्यधारा में शामिल कर दिया, लेकिन अब भी हमें दैनिक ट्रेन नहीं मिली है। सीकर-झुंझुनू के लोग चाहते हैं कि हमें एक दैनिक ट्रेन मिली चाहिए, जो रात्रि को सीकर से चलकर दिल्ली आये और दिल्ली से चलकर सीकर जाये।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह हमारी इस मांग को पूरा करे, क्योंकि इससे लाखों व्यापारी, लाखों यात्री प्रभावित होंगे। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या हाउस नहीं चलाना चाहिए?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा कल 29 नवम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.11 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 29 नवम्बर, 2016 / 8 अग्रहायण, 1938 (शक)

के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित